फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

राजकोषीय प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) ने अपना **पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) 2025 लॉन्च किया**।

- **इस सूचकांक में वर्ष 2022 से वर्ष 23 की अवधि में 18 प्रमुख भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति** का व्यापक मूल्यांकन किया गया है, तथा डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है जो राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करेगा।

फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) क्या है?

- **परिचय: फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI)** भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु एक **मूल्यांकन साधन** है और इसके अंतर्गत **उन विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है जिनमें सुधार किया जा सकता है।**
- **पैरामीटर:** FHI पाँच प्रमुख उप-सूचकांकों के आधार पर राज्यों का श्रेणीकरण करता है।
  - **व्यय की गुणवत्ता:** इसमें दीर्घकालिक विकास (विकासात्मक) बनाम नियमित परिचालन (गैर-विकासात्मक) पर किये गए व्यय के अनुपात को मापा जाता है।
    - इसमें आर्थिक उत्पादन के हिस्से के रूप में पूंजी निवेश का आकलन किया जाता है।
  - **राजस्व जुटाना:** यह राज्य की **स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने** तथा अपने व्यय को स्वतंत्र रूप से पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है।
  - **राजकोषीय विवेक:** इसमें आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष घाटे (राजकोषीय और राजस्व) तथा उधारी का आकलन किया जाता है, तथा संबद्ध राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रदान किया जाता है।
  - **ऋण सूचकांक:** इसके अंतर्गत आर्थिक आकार के सापेक्ष ब्याज भुगतान और देनदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के ऋण बोझ का आकलन किया जाता है।
  - **ऋण स्थिरता: इसके अंतर्गत** सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) **वृद्धि की तुलना ब्याज भुगतान से की जाती है, जिसमें सकारात्मक अंतर राजकोषीय स्थिरता को दर्शाता है।**

MAJOR SUB-INDICES	MINOR SUB-INDICES
1. Quality of Expenditure	1.1 Total Developmental Expenditure/Total Expenditure
	1.2 Total Capital Outlay/ GSDP*
2. Revenue Mobilization	2.1 State Own Revenue/ GSDP*
	2.2 State Own Revenue/ Total Expenditure
3. Fiscal Prudence	3.1 Gross Fiscal Deficit/ GSDP*
	3.2 Revenue Deficit/ GSDP*
4. Debt Index	4.1 Interest Payments/Revenue Receipts
	4.2 Outstanding Liabilities/ GSDP*
5. Debt Sustainability	5.1 Growth Rate of GSDP* – Growth Rate of Interest Payments

GSDP at current prices for the year 2022-23

- **उद्देश्य:** राज्य स्तर पर सतत् आर्थिक विकास, राजकोषीय समेकन और बेहतर **संसाधन प्रबंधन के लिये लक्षित सुधार** तैयार करने में नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करना।
    - राज्यों की राजकोषीय रणनीतियों को राष्ट्रीय आर्थिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
- **FHI 2025 से संबंधित प्रमुख बिंदु:**
    - **शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता: ओडिशा 67.8** के सर्वोच्च समग्र FHI स्कोर के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (55.2), गोवा (53.6), झारखंड (51.6) और गुजरात (50.5) का स्थान है, जिनकी **ऋण सूचकांक, राजस्व संग्रहण और राजकोषीय विवेकशीलता** की स्थिति सुदृढ़ है।
    - **राजस्व संग्रहण: गोवा, तेलंगाना और ओडिशा** राजस्व संग्रहण और राजकोषीय विवेकशीलता में अग्रणी हैं।
        - ओडिशा, झारखंड, गोवा और छत्तीसगढ़ गैर-कर राजस्व के मामले में बेहतर हैं, जहाँ ओडिशा मुख्य रूप से **खनन संबद्ध प्रीमियम** पर निर्भर है, जबकि **छत्तीसगढ़** को **कोयला ब्लॉक नीलामी** से लाभ प्राप्त होता है।
        - पंजाब और पश्चिम बंगाल राजस्व जुटाने में पिछड़ रहे हैं, जिससे राजकोषीय प्रबंधन एवं आर्थिक लचीलेपन में असमानता पर प्रकाश पड़ता है।
        - **पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल** जैसे आकांक्षी राज्यों को गंभीर राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
            - पंजाब और केरल **ऋण स्थिरता** और **व्यय की गुणवत्ता** के मामले में संघर्ष कर रहे हैं जबकि आंध्र प्रदेश, **उच्च राजकोषीय घाटे** से ग्रसित है।
    - **पूंजीगत व्यय:** मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने **पूंजीगत व्यय** के लिये **27% का आवंटन** किया है, जो दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
        - पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों ने इस क्षेत्र में केवल 10% ही आवंटित किये हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है।
    - **ऋण प्रबंधन:** ओडिशा और गोवा जैसे शीर्ष राज्य प्रभावी रूप से ऋण का प्रबंधन करते हैं तथा चूक का जोखिम कम होता है, जबकि पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे निचले स्तर के राज्यों में ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे **ऋण स्थिरता के बारे में चिंताएँ** बढ़ रही हैं।

State-wise Composite FHI Score Heatmap

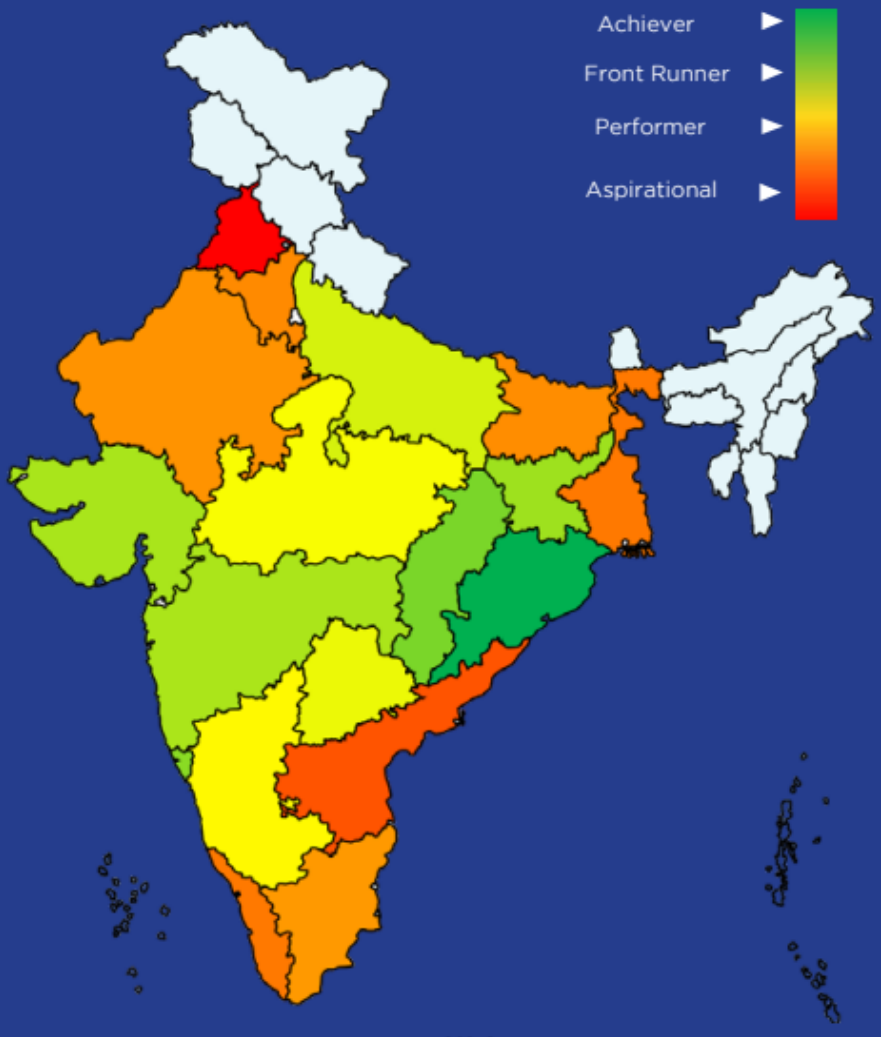

Achiever	Front Runner	Performer	Aspirational
Odisha (1)	Maharashtra (6)	Tamil Nadu (11)	Kerala (15)
Chhattisgarh (2)	Uttar Pradesh (7)	Rajasthan (12)	West Bengal (16)
Goa (3)	Telangana (8)	Bihar (13)	Andhra Pradesh (17)
Jharkhand (4)	Madhya Pradesh (9)	Haryana (14)	Punjab (18)
Gujarat (5)	Karnataka (10)		

नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

इतिहास- योजना आयोग

वर्ष **1950** में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

नीति आयोग की संरचना

- **अध्यक्ष**
  - प्रधानमंत्री
- **शासी मंत्रिपरिषद्**
  - CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (UTS)
- **क्षेत्रीय परिषदें**
  - आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं
- **सदस्य**
  - पूर्णकालिक
- **अंशकालिक सदस्य**
  - अधिकतम 2, क्रमिक, महत्त्वपूर्ण संस्थानों से
- **पदेन सदस्य**
  - अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- **विशेष आमंत्रितकर्त्ता**
  - अनुभवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अभ्यासकर्त्ता
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
  - निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)
- **सचिवालय**
  - आवश्यकतानुसार

प्रमुख पहलें

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

उद्देश्य

- **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना
- **विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण** हेतु तंत्र विकसित करना **(ग्रामीण स्तर पर)**
- आर्थिक रणनीति और नीति में **राष्ट्रीय सुरक्षा** संबंधी हितों को बढ़ावा
- **सुभेद्य वर्गों** पर विशेष **ध्यान**
- **प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों** के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- **ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली** का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय **मुद्दों के समाधान हेतु मंच** प्रदान करना
- **अत्याधुनिक संसाधन केंद्र** (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते है।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

प्रमुख पहलें

- राज्यों को **विवेकाधीन निधि** प्रदान करने का **अधिकार नहीं**
- केवल एक **सलाहकार निकाय**
- **निज़ी या सार्वजनिक** निवेश को **प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं**
- **संगठन का राजनीतिकरण**
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये **अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव**

Drishti IAS

और पढ़ें: राज्य वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट 2024-25

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? (2019)

(a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
(b) श्रम और रोज़गार मंत्रालय
(c) नीति आयोग
(d) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत सरकार ने नीति (NITI) आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिये की है? (2015)

(a) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) विधि आयोग
(d) योजना आयोग

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/fiscal-health-index-2025